



UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

1st Floor, Institution of Engineers (I) Building, Near ISBT, Saharanpur Road, Clementown, Dehradun.
PH. 0135-2641119 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@indiatimes.com

PUBLIC NOTICE

For hearing on Draft UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2013

In exercise of powers conferred under Section 61(h), Section 86(1) (e) read with Section 181(zp) of the Electricity Act, 2003, the Commission has issued Draft UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2013. Responses were sought from the stakeholders on the Draft Regulations. However, before finalisation of the Regulation, the Commission intends to grant an opportunity to the stakeholders who could not submit their comments or who wish to submit their responses/suggestions in person before the Commission and has, therefore, decided to hold a public hearing on 11.03.2013 at 12.00 hrs.

Any stakeholder/person, who wishes to submit their views before the Commission, can submit their views/comments by appearing in hearing at the hearing room of the Commission at the above-mentioned address on 11.03.2013 at 12.00 hrs.

Advt. No. 27/12-13

Secretary



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ०) भवन, आई०एस०बी०टी० के समीप, सहारनपुर रोड़,
क्लेमेंटाऊन, देहरादून
फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

जन सूचना

प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 पर जन सुनवाई

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h), धारा 86(1) (e) सपटित धारा 181(zp) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आयोग द्वारा प्रारूप उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 बनाया गया है। प्रारूप विनियम पर स्टैकहोल्डरों के सुझाव आमंत्रित किये गये थे। इन विनियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व आयोग उन स्टैकहोल्डरों को, जिन्होंने अपने सुझाव लिखित में जमा नहीं कराये हैं, के विचार व्यक्तिगत रूप से सुनने एवं जानने हेतु दिनांक 11.03.2013 को 12.00 बजे अपराह्न जन-सुनवाई निर्धारित की गई है।

कोई भी स्टैकहोल्डर/व्यक्ति, जो आयोग के समक्ष अपने विचार रखना चाहते हैं, वे दिनांक 11.03.2013 को अपराह्न 12.00 बजे आयोग कार्यालय के सुनवाई कक्ष में उपस्थित होकर अपने विचार रख सकते हैं।

Advt. No. 27/12-13

सचिव